

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर, 2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- संतान पालन अवकाश स्पष्टीकरण के संबंध में ।


संदर्भ- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 22-8-
2015, एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 30-9-
2015,.



म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम-38(सी) द्वारा राज्य सरकार की महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता निर्धारित की गई है । संतान पालन अवकाश के आवेदन स्वीकृति आदि बिन्दुओं पर विभिन्न माध्यमों से समक्ष में आई जिज्ञासाओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

- (अ) संतान पालन अवकाश के आवेदन के समय किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र की पृथक से आवश्यकता नहीं होगी, आवेदन में उल्लेखित कारण पर्याप्त माना जावेगा ।
- (ब) उपर्युक्त अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा अर्जित अवकाश की भांति अर्थात् तीन सप्ताह पूर्व ही होगी ।
- (स) किसी एक अवसर हेतु कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


17/11/15
(उपेन्द्र शर्मा)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अर्पित ।


17/11/15

(उपेन्द्र शर्मा)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग